राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 03.11.2014

जिला कलेक्टर, समस्त
राजस्थान।

विषयः– भामाशाह नामांकन शिविरों के आयोजन बाबत।

महोदय,

यह ध्यान में आया है कि शिविर प्रभारियो/स्थानीय प्रशासन द्वारा कतिपय स्थानों पर क्षेत्रीय जनसंख्या को ध्यान में रखकर भामाशाह नामांकन शिविरों की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। शिविर समाप्ति उपरान्त नामांकन से शेष रहे नागरिकों को भामाशाह नामांकन सुविधा की सतत् उपलब्धता की जानकारी नहीं होने के कारण, कतिपय स्थानों पर संबंधित क्षेत्र के नागरिकों में आशंका/ असंतोष की सूचना प्राप्त हुई है। जिससे योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि भामाशाह नामांकन शिविरों की अवधि क्षेत्रीय जनसंख्या व योजना के संबंध में जारी परिपत्रों अनुसार निर्धारित की जाए। परिपत्र–4 में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि नामांकन शिविर में यदि क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में नामांकन कवरेज कम रहता है तथा स्थानीय नागरिक भामाशाह नामांकन शिविर की अवधि बढाने की मांग करते है तो इस पर तत्काल निर्णय लिये जाने हेतु जिला कलेक्टर अधिकृत है।

शिविर प्रभारियो/स्थानीय प्रशासन द्वारा क्षेत्र की जनसंख्या के भामाशाह नामांकन प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए फॉलोअप कैम्प आवश्यक हो तो उसकी संभावित तिथि/अवधि अथवा नामांकन से शेष रहे नागरिकों के भामाशाह नामांकन/सूचनाओं के अद्यतन हेतु स्थानीय ई–मित्र केन्द्रों पर स्थायी सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी, से अवगत कराया जाए।

अतः उक्तानुसार शिविरों की समाप्ति के समय स्थानीय नागरिकों/जनप्रतिनिधियों को स्थिति स्पष्ट करना सुनिश्चित कराएं।

भवदीय,

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव